# उदारवाद की प्रमुख विशेषताएं, मान्यताएं व सिद्धान्त

1. **मानवीय स्वतन्त्रता का समर्थक –** उदारवाद मनव की स्वतन्त्रता को बढ़ाना चाहता है। उदारवाद की प्रमुख मान्यता यह है कि स्वतन्त्रता व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। यह व्यक्ति की स्वतन्त्रता का निरपेक्ष समर्थन करता है। इसका मानना है कि मनुष्य अपने विवेक के अनुसार कार्य करने व आचरण करने के लिए स्वतन्त्र है। इसी कारण उदारवाद जीवन के सभी क्षेत्रों में पूर्ण वैयक्तिक स्वतन्त्रता का समर्थक है।
2. **मानवीय विवेक में आस्था –** उदारवादी विचारक मानवीय विवेक में विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि मनुष्य ने अपने विवेक से ही आरम्भ से लेकर आज तक जटिल सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं तकनीकी परिस्थितियों के बीच विकास एवं मानवता का मार्ग निर्धारित एवं विकसित किया है। मनुष्य ने अपने विवेक के बल पर ही स्थापित परम्पराओं का अन्धानुकरण करने की बजाय पुनर्जागरण का सूत्रपात किया है। उसने अप्रासांगिक मान्यताओं की जड़ता से मुक्त होने की मानवीय चेतना के चलते ही स्वतन्त्र चिन्तन का विकास किया है। मनुष्य ने सदैव ऐसे विचार को ही महत्व दिया है। जिसकी उपयोगिता बुद्धि की कसौटी पर खरी उतरती हो। मनुष्य ने ऐसे विचार को छोड़ने में कोई

संकोच नहीं किया है जिसकी उपयोगिता बुद्धि से परे हो।

3. **प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास –**

   उदारवादियों का मानना है कि जीवन, सम्पत्ति एवं स्वतन्त्रता के अधिकार प्राकृतिक अधिकार हैं। स्वतन्त्रता के अन्तर्गत वैयक्तिक, नागरिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक राजनीतिक आदि समस्त प्रकार की स्वतन्त्रताएं शामिल हैं। हॉब्स हाऊस ने अपनी पुस्तक 'Liberalism' में नौ प्रकार की स्वतन्त्रताओं का वर्णन किया है। हॉब्स हाऊस का कथन है कि ये सभी स्वतन्त्रताएं व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अक्षुण्ण महत्व की है। उदारवादियों का कहना है कि नागरिक के रूप में व्यक्ति के साथ किसी अन्य व्यक्ति या सत्ता को मनमाना आचरण करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हॉब्स हाऊस तो अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भी स्वतन्त्रता की बात करता है। उदारवादियों के प्राकृतिक अधिकारों के तर्क को इस बात से समर्थन मिल जाता है कि आज सभी प्रजातन्त्रीय देशों में मौलिक अधिकारों को विधि के अधीन संरक्षण प्रदान किया गया है।

4. **इतिहास तथा परम्परा का विरोध –** उदारवाद ऐसी परम्पराओं और ऐतिहासिक तथ्यों का विरोध करता है जो विवेकपूर्ण नहीं है। मध्ययुग में उदारवादियों ने उन सभी धार्मिक परम्पराओं का विरोध किया था जो सभी के विशेषाधिकारों की पोषक थी। उदारवाद का उदय भी मध्ययुगीन सामाजिक व्यवस्था तथा राज्य व चर्च की

मध्ययुगीन सामाजिक व्यवस्था तथा राज्य व चर्च की निरंकुश सत्ता के विरूद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। उदारवादियों का मानना है कि प्राचीन व्यवस्था और परम्पराओं ने व्यक्ति को पंगु बना दिया है, इसलिए उदारवादी विचारक पुरातन व्यवस्था के स्थान पर परम्परायुक्त नवीन समाज का निर्माण करने की वकालत करते हैं। इंग्लैण्ड, फ्रांस और अमेरिका की क्रान्तियां इसी का उदाहरण हैं।

5. **धर्म-निरपेक्षता में विश्वास –** उदारवाद धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का समर्थक है। उदारवाद का जन्म ही मध्ययुग में रोमन कैथोलिक चर्च के निरंकुश धार्मिक आधिपत्य के विरूद्ध प्रतिक्रिया के कारण हुआ था। उस समय चर्च और राजा दोनों व्यक्ति धार्मिक अन्धविश्वासों की आड़ लेकर अत्याचार करते थे। चर्च और राजसत्ता के गठबन्धन ने व्यक्ति को महत्वहीन बना दिया था। इसलिए उदारवाद की वकालत करने वाले सभी समाज सुधारकों व विचारकों ने धार्मिक अन्धविश्वासों के पाश से व्यक्ति को मुक्त कराने के लिए धर्म-निरपेक्ष के सिद्धान्त का प्रचार किया, मैकियावेली, बोंदा और हॉब्स जैसे विचारकों ने धर्म और राजनीति में अन्तर का समर्थन किया। इसी सिद्धान्त पर चलते हुए आज उदारवादी विचारक इस बात के प्रबल समर्थक हैं कि राज्य को धर्म-निरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और व्यक्ति को धार्मिक मामलों में पूरी छूट मिलनी चाहिए।

8. **आर्थिक क्षेत्र में यद्भाव्यम् अथवा अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन –** उदारवादियों का मानना है कि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को स्वतन्त्रतापूर्वक अपना कार्य करने की छूट दी जानी चाहिए। उनका मानना है कि आर्थिक क्षेत्र में समाज और राज्य की ओर से व्यक्तियों के उद्योगों और व्यापार में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को इस बात की पूरी छूट मिलनी चाहिए कि अपनी इच्छानुसार कोई भी व्यवसाय करें और उसमें पूंजी लगाए। व्यवसाय के सम्बन्ध में राज्य को चिन्ता नहीं करनी चाहिए। राज्य को संरक्षण की प्रवृत्ति से दूर ही रहना चाहिए। राज्य का दृष्टिकोण भी सम्पत्ति के अधिकार के बारे में निरपेक्ष ही होना चाहिए। समाज की सत्ता को आर्थिक उत्पादन, वितरण, विनिमय आदि का नियमन नहीं करना चाहिए और न ही वस्तुओं के मूल्य-निर्धारण या बाजार-नियन्त्रण आदि में कोई हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन आधुनिक समय में समाजवाद की बढ़ती लोकप्रियता ने उदारवाद की इस मान्यता को गहरा आघात पहुंचाया है। समसामयिक उदारवादी विचारक 'राज्य के कल्याणकारी' विचार को सार्थक बनाने के लिए अब राज्य के आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की बात स्वीकार करने लगे हैं। अत: आधुनिक उदारवाद में आर्थिक क्षेत्र में यद्भाव्यम् नीति का सिद्धान्त ढीला पड़ता जा रहा है।

करने लगे हैं। अत: आधुनिक उदारवाद में आर्थिक क्षेत्र में यद्भाव्यम् नीति का सिद्धान्त ढीला पड़ता जा रहा है।

7. **लोकतन्त्रीय शासन प्रणाली का समर्थन –** उदारवादी लोकतन्त्र के प्रबल समर्थक हैं। उदारवाद की विचारधारा अपने जन्म से ही उस विचार का प्रतिपादन करती आई है कि स्वतन्त्रता व उसके अधिकारों की रक्षा का सर्वोत्तम उपाय यही है कि शासन की शक्ति जनता के हाथों में हो तथा कोई व्यक्ति या वर्ग जनता पर मनमाने ढंग से शासन न करें। लोक प्रभुसत्ता के सिद्धान्त के मूल में भी व्यक्ति की स्वतन्त्रता का ही विचार निहित है। उदारवाद की मूल मान्यता ही इस बात का समर्थन करती है कि व्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए लोकप्रभुसत्ता पर आधारित लोकतन्त्रीय शासन प्रणाली ही उचित शासन प्रणाली है। इंग्लैण्ड, फ्रांस व अमेरिका की क्रान्तियों का उद्देश्य भी राजसत्ता का लोकतन्त्रीकरण करवा रहा है ताकि मानव की स्वतन्त्रता में वृद्धि हो सके। आज भी उदारवाद के समर्थक साम्यवादी या अधिनायकवादी शासन प्रणालियों का विरोध करते हैं यदि उनसे व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर कोई आंच आती हो तथा लोक प्रभुसत्ता पर आधारित प्रजातन्त्रीय शासन प्रणाली को कोई हानि होती हो। अधिकार उदारवादी आज लोकतन्त्र के आधार स्तम्भों- निर्वाचित संसद, व्यस्क मताधिकार प्रैस की स्वतन्त्रता एवं स्वतन्त्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की वकालत करते हैं।

8. **लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था का समर्थन –**

उदारवाद के आरिम्भक काल में उदारवादी विचारक व समर्थक मानव जीवन के राज्य के हस्तक्षेप का विरोध करते थे। उनका मत था कि व्यक्ति के जीवन में राज्य का हस्तक्षेप अनुचित है व मानवीय स्वतन्त्रता पर कुठाराघात करने वाला है। राज्य के कार्यों और उद्देश्यों के प्रति उदारवादियों का दृष्टिकोण लम्बे समय तक नकारात्मक ही रहा है। लेकिन वर्तमान समय में उदारवादियों का पुराना दृष्टिकोण बदल चुका है। अब सभी उदारवादी यह बात स्वीकार करने लगे हैं कि राज्य का उद्देश्य सामान्य कल्याण की साधना करना है। राज्य का उद्देश्य या कार्य किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष तक ही सीमित न होकर सम्पूर्ण मानव समाज के हितों के पोषक हैं। राज्य ही वह संस्था है जो परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करके सामान्य कल्याण में वृद्धि करता है। आधुनिक उदारवादी आज के समय में लोक कल्याणकारी राज्य के विचार के प्रबल समर्थक हैं। समाजवाद के विकास से इस विचार को प्रबल समर्थन मिला है। इसी कारण आज की सरकारें लोककल्याण के लिए ही कार्य करती देखी जा सकती है।

9. **राष्ट्रीय आत्म-निर्णय के सिद्धान्त का समर्थन –**

उदारवाद निरंकुशतावाद के किसी भी सिद्धान्त का प्रबल विरोधी है। उदारवादियों को प्रारम्भ से ही साम्राज्यवाद का भी प्रबल विरोध किया है। उदारवाद की प्रमुख मान्यता यह है कि प्रत्येक देश का शासन उस देश के निवासियों की इच्छा से ही संचालित होना चाहिए। इससे ही व्यक्ति की स्वतन्त्रता बनी रह सकती है। अत: उदारवाद राष्ट्रीय आत्म-निर्णय के अधिकार का प्रबल समर्थक है। यह स्वशासन के सिद्धान्त का ही समर्थन करता है।

10. **व्यक्ति साध्य तथा राज्य साधन –** उदारवादी विचारक व समर्थक इस बात पर जोर देते हैं कि व्यक्ति अपने हितों का निर्णायक है। मनुष्य अपने जीवन के हर कार्य में प्राकृतिक रूप से स्वतन्त्र है। इसी आधार पर यह एक साध्य है। राज्य तथा अन्य संस्थाएं उसके विकास का साधन है। आधुनिक उदारवादी विचारकों ने व्यक्ति और राज्य के बीच की खाई को कम करना शुरू कर दिया है। आधुनिक उदारवाद व्यक्ति और राज्य के बीच सामंजस्यपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने की वकालत करते हैं।

11. **राज्य एक कृत्रिम संस्था है और उसका उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना है –**उदारवादियों का मत है कि राज्य कोई ईश्वरीय व प्राकृतिक संस्था नहीं हैं यह एक कृत्रिम संस्था है जिसका निर्माण व्यक्तियों ने अपने हितों के लिए एक संविदा (Contract) के तहत किया है। हॉब्स, लॉक व रुसो का चिन्तन इसी मत का समर्थन करता है। बर्क, ग्रीन, कॉण्ट जैसे विचारक भी इसी मत की पुष्टि करते हैं। बेंथम का मत है कि राज्य एक उपयोगितावादी संस्था है जिसका कार्य 'अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख' प्रदान करना है। इस तरह उपयोगितावादी विचारक राज्य का आधार समझौते की बजाय इसकी उपयोगिता को मानते हैं। इस वर्णन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि चाहे राज्य का जन्म कैसे भी हुआ हो, वह एक कृत्रिम संस्था ही है जिसका उद्देश्य व्यक्ति को अधिकतम स्वतन्त्रता प्रदान करके उसके व्यक्तिगत का विकास करना ही है लेकिन आधुनिक उदारवादी व्यक्ति की बजाय सारे समाज के कल्याण को ही प्राथमिकता देते हैं। इस अर्थ में राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की बजाय सम्पूर्ण समाज के विकास से है।
12. **संवैधानिक शासन का समर्थन –** उदारवाद विधि के शासन को उचित महत्व देता है। उदारवादियों का मानना है कि विधि के शासन के अभाव में व्यक्ति की स्वतन्त्रता

. **संवैधानिक शासन का समर्थन –** उदारवाद विधि के शासन को उचित महत्व देता है। उदारवादियों का मानना है कि विधि के शासन के अभाव में व्यक्ति की स्वतन्त्रता का हनन होता है और समाज में अराजकता फैल जाती है जिससे बलवान व्यक्तियों के हितों का ही पोषण होने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसलिए उदारवादी सीमित सरकार तथा कानून के शासन को उचित महत्व देते हैं। उदारवाद के समर्थक चाहे वे 19वीं सदी के हों या वर्तमान सदी के, सभी संवैधानिक शासन को ही मान्यता देते हैं।

13. **विश्व शान्ति में विश्वास –** सभी उदारवादी विचारक विश्व बन्धुत्व की भावना का प्रबल समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि विश्व समाज के विकास से ही प्रत्येक देश का भला हो सकता है। इसलिए वे एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र की अखण्डता व सीमाओं का आदर करने की बात पर जोर देते हैं। उदारवादी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में शक्ति प्रयोग के किसी भी रूप का विरोध करते हैं। इसी आधार पर उदारवादी विश्व शांति के विचार को व्यवहारिक बनाने पर जोर देते हैं।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि उदारवाद मानवीय स्वतन्त्रता का पोषक है। वह मानवीय विवेक में आस्था व्यक्त करते हुए व्यक्ति के कार्यों में राज्य के अनुचित हस्तक्षेप पर रोक लगाने की वकालत करता है। आधुनिक समय में उदारवादी धर्म- निरपेक्षता